(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2641–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–5–12 पारित द्वारा तहसीलदार, खरगोन प्रकरण कमांक 41/अ–12/11–12.

1– रामकृष्ण पिता बाबूलाल महाजन
2– दाउलाल पिता बाबूलाल महाजन
निवासीगण ब्राम्हणपुरी, खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– गजेन्द्र पिता बाबूलाल
निवासी ग्राम सुतारगली
तालाब चौक, खरगोन
2– राजेश पिता भगवती
निवासी अन्नपूर्णा नगर
सनावद रोड, खरगोन .....अनावेदकगण

श्री दिनेश सगोरे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विशाल शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/13 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, खरगोन के समक्ष ग्राम मागरूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 208/3 रकबा 1.660 हेक्टेयर भूमि, जो कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 41/अ–12/11–12 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का

सीमांकन कराया जाकर दिनांक 26–5–12 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 19–10–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिस भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस पर अनेक मकान बने हैं, तथा बिजली कनेक्शन भी हैं, और प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि नहीं है ।

(2) सीमांकन में आवेदकण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और अनावेदकगण की भूमि आवेदकगण की भूमि में बताया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(3) सीमांकन पंचनामा कूटरचित है, और उस पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, अतः ऐसे सीमांकन कार्यवाही पर विश्वास कर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के अनावेदकगण डमी मालिक हैं, जबकि वास्तव में कॉलोनायजर द्वारा प्लाट एवं अवैध कॉलौनी बनाकर कई लोगों के मकान बने हैं ।

(5) तहसीलदार द्वारा सीमांकन कार्यवाही में संहिता की धारा 129 का पालन नहीं किया गया है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण के प्रतिनिधि मुकुंद ने सीमांकन से संबंधित सूचना पत्र प्राप्त किया है तथा सीमांकन में आवेदकगण की मौखिक सहमति भी प्राप्त की गई है, उपरोक्त स्थिति पंचनामा से स्पष्ट होती है । अतः आवेदकगण द्वारा यह आधार लिया जाना उचित नहीं है कि सीमांकन में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । सीमांकन प्रकरण को देखने से

स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत सीमांकन करायी जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर